न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

गोकुल गिरी पुत्र पून्यागिरी आयु 70 साल जाति गुंसाई निवासी मठ गढ़ीगांव तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0) — प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र रामजीलाल आयु 65 साल जाति मीना निवासी नकटीपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0)
2. श्रीचंद पुत्र रामजीलाल आयु 40 साल जाति मीना निवासी नकटीपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0)
3. शिवचरण पुत्र रामधन आयु 35 साल जाति मीना निवासी नकटीपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0)
4. सरपंच ग्राम पंचायत बुगडार तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0)
5. तहसीलदार लैण्डहोल्डर तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0)
6. अध्यक्ष व शिविर प्रभारी आवंटन सलाहकार समिति एस.डी.ओ. मण्डरायल जिला करौली (राज0) — अप्रार्थीगण

अपील धारा 14(4) आवंटन अधिनियम विरूद्ध आवंटन आदेश क्रमांक 103 दिनांक 16.04.2013 प्रशासन गांवों के संग कैम्प बुगडार शिविर प्रभारी उपजिला कलक्टर मण्डरायल जिला करौली

निर्णय

दिनांक 16.03.2020

यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत पेश किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि शिविर प्रभारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013, तहसील मण्डरायल द्वारा आदेश क्रमांक 103 दिनांक 16.04.2013 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, डिस्पेंसरी एवं अन्य लोकापयोगी भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित कृषि भूमि आवंटन) नियम 1963 के प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम पंचायत बुगडार को ग्राम नकटीपुरा के श्मशान हेतु तहसील मण्डरायल के ग्राम गढ़ी का गांव के खसरा नंबर 1164 में से 1–00 बीघा भूमि आवंटित की गई है जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि आवंटन आदेश क्रमांक 103 दिनांक 16.04.2013 कानून के विरूद्ध, आरवीट्रेरी, मौके की स्थिति के विपरीत, तथ्यों के विपरीत व नियमों के विपरीत रेस्पोण्डेण्ट नं. 1, 2, 3 ने रेस्पोण्डेण्ट नं. 4 लगायत 6 से साजकर धोखापूर्ण नीति से कराया है जो कानूनन हर हाल में खारिज होने योग्य है। आवंटन आदेश मात्र कागजी स्थिति को देखकर किया गया है, मौके की वास्तविक स्थिति देखकर नही किया गया। जिस स्थान पर शमशान की तरमीम की है, वह स्थान अपीलाण्ट के कब्जे वाला स्थान है, जहां अपीलाण्ट ने सैकड़ो पेड़–पौधे लगा रखे हैं। अपीलाण्ट के मवेशी बांधने के लिये

पाटौर डाली हुई है। चारा चराने के लिये गायों के खरूटे बने हुये है। इसी स्थान पर अपीलाण्ट की गाय, अन्य पशुधन विचरण करते है उसके पास ही अपीलाण्ट की आबादी रिहायशी मकानात है व पास में ही अपीलाण्ट के पूर्वजों का सैकड़ों वर्ष पुराना मठ है। मठ की मवेशी गायों का शुरू से ही इसी स्थान पर पालन–पोषण होता चला आ रहा है। रेस्पोण्डेण्ट नं. 6 ने आवंटन क्रमांक 103 पर दर्ज किया है जबकि रेस्पोण्डेण्ट नं. 5 ने नामांतकरण में आवंटन क्रमांक 105 का दर्ज किया। खसरा नम्बर 1164 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा में एक बीघा आवंटन करना बताया है जो मौके पर 5 बीघा 16 बिस्वा आराजी नही है। आराजी खसरा नम्बर 1164 के पूर्वी हिस्से पर लगभग तीना बीधा जमीन पर सियाराम मीना व उसके परिवार वालो ने कब्जा कर रखा है जहां ये अवैध खनन कर रहे है व रेस्पोण्डेण्ट नं. 1, 2, 3 ने कब्जा कर रखा है व दो बीघा पर रंगीलाल मीना ठेकेदार ने खान खुदवा दी है बाकी रास्ता है। इस तथ्य की अनदेखी कर भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की है। आदेश निरस्त होने योग्य है। खसरा नंबर 1163 जो नकटीपुरा के मेठे में है जिसमें सैकड़ो वर्ष पुराने पहले से ही शमशान बने है वही एक सावर्जनिक कुंआ है जिसका पानी अंत्येष्ठि के समय में काम आता है उसी के बगल में रेस्पोण्डेण्ट नं. 1, 2, 3 ने शमाशन की भूमि पर कब्जा कर लिया है जिसमें इस वर्ष इन्होंनें तिली, बाजरा बोया है और रेस्पोण्डेण्ट नं. 1, 2, 3 लगातार आगे बढ़ रहे है और खसरा नं. 1164 जिसके उत्तरी हिस्से पर लगातार अतिक्रमण करते चले आ रहे है और शमशान को आगे ढकेलते चले आ रहे है। इसी बदनियती से आराजी खसरा नम्बर 1164 में शमशान के नाम पर रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 ता 3 ने 4, 5, 6 से साज कर बिना किसी को बताये चुपचाप आवंटन अपने फायदे के लिये बिना प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये तीनो ने ग्राम पंचायत की कार्यवाही प्रस्ताव संख्या 8 पर हस्ताक्षर करके आवंटन करा लिया है व तरमीम नजरी नक्शा मुझ गरीब गुंसाई की कब्जे की आराजी की करायी है। सियाराम मीना जो लट्ठ व ताकतवाला है जिसने 3 बीघा जमीन पर इसी खसरा नम्बर में अवैध खनन कार्य हेतु अतिक्रमण कर रखा है उसकी ओर तरमीम नही कराई है। विवादित स्थल मेरे कब्जे काश्त की आराजी में होकर पूर्व मे भी रास्ता निकलाने का विवाद चला है जो अब भी सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें रेस्पोण्डेण्ट नं. 4, 5 पक्षकार है। इस तथ्य को नजरअंदाज कर व धोखा देकर उक्त स्थान पर आवंटन करके व आवंटन कराकर भारी कानूनी भूल की है। जिस स्थान पर श्मशान को आवंटन कराया है उसी स्थान पर अपीलाण्ट के मकानात आबादी है जहां उसका पूरा परिवार छोटे–छोटे बच्चें, महिलायें रहते है। शवों की अंत्येष्ठि होने से अपीलाण्ट के परिवार के लोगो पर भारी शारीरिक, मानसिक रूप से बुरा असर पड़ेगा। अपीलाण्ट के परिवार में कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की पूरी–पूरी संभावना पैदा हो गयी है। इस तथ्य को रेस्पोण्डेण्ट नं. 6 में नजर अंदाज कर भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की है। उक्त रेस्पोण्डेण्ट नं. 1, 2, 3 द्वारा पुराने शमशाान स्थल में तिली, बाजरा की फसल काश्त करने पर पूछने व मालूम करने पर रेस्पोण्डेण्ट नं. 1, 2, 3 के स्पष्ट कहने पर कि हमने पुराने शमशान स्थल को रेस्पोण्डेण्ट नं. 1, 2, 3 बेईमान तरीके से कब्जा करने की नियत से व और आगे कब्जा करते हुये बढ़ते जाने की नियत से नया शमशान स्थल एलोटमेंट करा लिया है। तुझ से जो बने वो कर लेना अब हम आगे तेरी जमीन पर भी कब्जा करेंगे व शमशान को तेरी जमीन में बढाते चले जायेंगें। इस पर प्रार्थी ने आवंटन की नकल दिनांक 01.08.2018 को प्राप्त करने पर मय दर0 धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ पत्र के साथ यह अपील पेश है जो जानकारी से अंदर मियाद पेश है। अंत में प्रार्थना पत्र निगरानी स्वीकार करने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया है कि श्मशान हेतु भूमि का आवंटन सरपंच ग्राम पंचायत बुगडार की मांग पर शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी,

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 तहसील मण्डरायल द्वारा किया गया है जिसमें अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी स्वयं ने सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। श्मशान सार्वजनिक प्रयोग में आता है जिसके लिए भूमि पूर्व में आवंटित नहीं थी। अब जब प्रशासन द्वारा श्मशान हेतु भूमि आवंटित की गई है तो उसमें प्रार्थी आपत्ति कर रहा है। अंत में निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का कथन किया है।

तहसीलदार मण्डरायल से मौके व रिकॉर्ड की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मण्डरायल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आराजी खसरा नंबर 1164 ग्राम गढ़ी का गांव में से 1–00 बीघा भूमि श्मशान हेतु श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, कैम्प बुगडार के आवंटन आदेश क्रमांक 103 दिनांक 16.04.2013 के द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत बुगडार की मांग के आधार पर किया गया है। आराजी खसरा नं. 1164 किस्म पहाड़ में से श्मशान हेतु आवंटित भूमि रकबा 1–00 बीघा मुताबिक प्रस्तावित नक्शा मौका मुआयना करने पर पाया कि श्मशान हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी का नया व पुराना कब्जा नहीं है। रेस्पोण्डेण्ट नं. 6 का आदेश क्रमांक 103 दिनांक 16.04.13 है एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु प्रेषित की गई प्रतिलिपि में डिस्पैच नंबर बढ़ते हुए क्रम में 105 लिखा गया है। अतः नामांतरकरण संख्या 613 में क्रमांक 105 का अंकन किया गया है जो सही है। आराजी खसरा नं. 1164 किस्म पहाड़ का वर्तमान जमाबंदी सं. 2074–77 के मुताबिक रकबा 4–16 बीघा है जिसके पूर्वी हिस्से पर लगभग 1–00 बीघा में सियाराम मीना व 1–00 बीघा पर अपीलार्थी गोकल गिरी का अतिक्रमण है। वर्तमान में किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं हो रहा है। शेष रकबा रास्ते के प्रयोग में एवं खाली पड़ा है। आराजी खसरा नं. 1163 रकबा 0–12 किस्म नाला (सिवायचक) दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त नाले की भूमि में पुराने समय से ही श्मशान है जिसके लगते खसरा नं. 1276/1162 शिवचरण पुत्र रामधन मीना वगै. निवासी नकटीपुरा की खातेदारी है एवं खसरा नं. 1162 कल्याण पुत्र रामजीलाल एवं श्रीचंद पुत्र रामजीलाल वगै. की खातेदारी में है जिन्होंने खसरा नं. 1163 नाले की जमीन में अतिक्रमण किया हुआ है जिसका रकबा 0–06 बीघा है। शेष नाले का रकबा एवं खसरा नं. 1164 का 0–05 रकबा आज भी श्मशान के रूप में काम में लिया जा रहा है एवं नाले के रकबे में उत्तर दिशा में एक सार्वजनिक कुंआ भी अनुपयोगी हालत में पड़ा हुआ है जिस पर किसी का अतिक्रमण नहीं है। नाले पर अतिक्रमण काफी पुराना है वर्तमान में कोई कब्जा नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही प्रस्ताव संख्या 8 पर किसके हस्ताक्षर हैं, इसकी जानकारी ग्राम पंचायत बुगडार द्वारा इस स्तर पर उपलब्ध नहीं कराई गई एवं श्मशान हेतु रकबा 1–00 बीघा के अनुमोदित प्रस्तावित नक्शे अनुसार उक्त भूमि नाले में स्थित श्मशान से लगती हुई है और उस पर वर्तमान में किसी का कब्जा नहीं है। अपीलार्थी/प्रार्थी के खसरा नं. 1164 में स्थित कब्जे में से रास्ते का कोई विवाद वर्तमान में मौके पर नहीं है। उक्त खसरा में से ग्राम आंतरीपुरा को कच्चा आम रास्ता जा रहा है जो वर्तमान में पूर्णतया चालू है। आवंटित श्मशान के रकबा 1–00 बीघा के पास अपीलार्थी/प्रार्थी के मकानात पर्याप्त दूरी पर स्थित हैं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। रेस्पोण्डेण्ट/अप्रार्थीगण नं. 1,2,3 द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष बताया है कि उनके द्वारा ऐसी कोई धमकी अपीलार्थी/प्रार्थी को नहीं दी है और न ही उनके द्वारा कोई नवीन अतिक्रमण किया गया है और यदि नाले की जमीन उनकी खातेदारी में आती है तो वे उसे छोड़ने को तैयार हैं परंतु पर्चा मौका पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया इसलिये उनके विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत बुगडार की मांग पर शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 तहसील मण्डरायल द्वारा कैम्प बुगडार में आदेश क्रमांक 103 दिनांक 16.04.2013 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, डिस्पेंसरी एवं अन्य लोकापयोगी भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित कृषि भूमि आवंटन) नियम 1963 के प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम पंचायत बुगडार को ग्राम नकटीपुरा के श्मशान हेतु तहसील मण्डरायल के ग्राम गढ़ी का गांव के खसरा नंबर 1164 में से 1–00 बीघा भूमि आवंटित की गई है। आवंटित जमीन पर तहसीलदार मण्डरायल द्वारा किसी का नया व पुराना कब्जा नहीं होना बताया है। पूर्व में भी उक्त आवंटित भूमि के पास ही श्मशान रहे हैं। प्रार्थी के मकानात भी आवंटित श्मशान भूमि से पर्याप्त दूरी पर बने हुए हैं जिससे किसी अप्रिय घटना होने का अंदेशा नहीं होना भी तहसीलदार मण्डरायल द्वारा बताया गया है। ऐसी स्थिति में श्मशान भूमि के लिए उक्त आवंटित भूमि के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। शिविर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल), प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 तहसील मण्डरायल कैम्प बुगडार द्वारा जारी श्मशान भूमि हेतु जारी आवंटन आदेश क्रमांक 103 दिनांक 16.04.2013 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:22:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: